

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } : 2311979, 2311901
Phone } : 2311854, 2311803
: 2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.com

पंजी/पीएफ/पीआरईएक्स/1/2016-पंजी

12/12/2017

परिपत्र

विषय : प्रसंस्करण संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा का विपंजीकृत करने के कारण
टाई-अप करार का अनिवार्य पृथक्करण - संदर्भ में ।

कुछ मामलों में जहां क्षेत्रीय प्रभाग ने संसाधन संयंत्र / हैंडलिंग सुविधा का पंजीकरण रद्द कर दिया है और इसे ऑनलाइन विपंजीकृत करना चाहता है, परंतु यह संभव नहीं हो पाता क्योंकि संयंत्र / सुविधा का व्यापारी निर्यातक के साथ सजीव टाई-अप है। संयंत्र को विपंजीकृत करने के लिए, क्षेत्रीय प्रभाग को व्यापारी निर्यातक के साथ के टाई-अप को पृथक करना होगा जो केवल संबंधित व्यापारी निर्यातक से अनुरोध प्राप्त होने पर ही संभव है। कई बार शुल्क की आवश्यकता के कारण व्यापारी निर्यातक ऐसा अनुरोध देने के लिए तैयार नहीं होते ।

इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई और तदनुसार पंजीकरण अधिकार सौंपे गए सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक मामले में सचिव के अनुमोदन के पश्चात इस उद्देश्य के लिए कोई भी शुल्क लिए बिना पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को, रद्द किए गए संयंत्र और किसी व्यापारी निर्यातक के बीच किए गए टाई -अप करार को पृथक करने का अधिकार दिया जाएगा । क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित अधिकारी इस प्रक्रिया के लिए पंजीकरण अनुभाग, मुख्यालय को अनुरोध भेजेंगे।

हस्ता/-

(बी श्रीकुमार)

सचिव

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय कार्यालय

मुख्यालय के सभी अधिकारी

प्रतिलिपि: - कृपया अध्यक्ष, निदेशक (विपणन)के जानकारी के लिए ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } 2311979, 2311901
Phone } 2311854, 2311803
2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in

Website : www.mpeda.com

संदर्भ / Ref. REG/PF/PREX/1/2016-REG


तारीख / Date: 12/12/2017

CIRCULAR

Sub: Compulsory detachment of tie up agreement due to De-registration of Processing Plant/ Handling Facility- reg.

In certain cases where the Regional Division has cancelled registration of a Processing Plant/Handling Facility and wants to de-register it online, it may not be possible as the Plant/Facility has a live tie up with a Merchant Exporter. In order to de-register the Plant, RD has to detach the tie up with the Merchant Exporter which is possible only on receipt of request from the concerned Merchant Exporter. Many a times the Merchant Exporters are not ready to give such a request especially due to the requirement of fee.

The issue has been examined in detail and accordingly all officers delegated with powers in registration are advised that in such situations, the Registration section, Head Office will be empowered to detach the tie up agreement between the Cancelled Plant and any Merchant Exporter/s after approval of Secretary in each case without collecting any fee for the purpose. The concerned officer from the field office shall send a request to the Registration Section HO for processing the same.


(B SREEKUMAR)
SECRETARY

To,
All Field Offices
All Officers in HO

Copy to:- Chairman, Director (M)- For kind information please